राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –633/2012/जयपुर

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विशेष वृत
राजस्थान,जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

मै0 फूड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया,
4,नेहरू पेलेस,टोंक रोड़, जयपुर

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री बी.के.मीणा, अध्यक्ष
श्री ईश्वरी लाल वर्मा,सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से
श्री विवेक सिंघल,
अधिकृत अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 10/11/2015

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त(अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 130/अपील्स II/आरवीएटी/जयपुर/वि.वृ.राज./2010–11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 08.09.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वैट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी फूड ग्रेन का विक्रेता है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2007–08 के संशोधित बिक्री विवरण प्रपत्र व संशोधित ऑडिट रिपोर्ट समयावधि पश्चात कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश किये। इस संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी से स्पष्टीकरण चाहा गया जिसके प्रतिउत्तर में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष जवाब पेश किया। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार कर दिया तथा दिनांक 31.12.2009 को समायावधि में पेश की गयी ऑडिट रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए यह विवादित आदेश पारित किया जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी के आई.टी.सी. के क्लेम रू0 1,15,71,658/– को अस्वीकृत किया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा देय कर दायित्व से अधिक जमा करवायी गयी कर राशि रू0 67,262/– को अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा संग्रहित किया जाना मानकर कर निर्धारण अधिकारी ने इस राशि को वेट अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत जब्त किया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा देय कर विलम्ब से जमा करवाये जाने के कारण धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज रू0 5,158/– आरोपित किया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 19.07.2010 से असंतुष्ट होकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पेश की गई। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 08.09.2011 के द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर, प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया।

-363

लगातार.....2

अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील पेश की गई है जिसमें आई.टी.सी. रू0 1,16,38,920/–तथा ब्याज रू0 5,058/– को विवादित किया गया है।

अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर देते हुए उपलब्ध रेकार्ड की समीक्षा के पश्चात विधिक प्रावधानों के अनुसार व्यवहारी का आगत कर का समायोजन अस्वीकार किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक स्थिति पर समुचित रूप से विचार किये बिना प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उक्त बिन्दुओं पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश विधिसम्मत एवं उचित नहीं है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने राजस्व की अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी का प्रकरण प्रतिप्रेषित करने संबंधी अपीलाधीन आदेश अपास्त करने का अनुरोध किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा इनपुट टैक्स क्लेम किये गये माल की इन्वॉयसों का तीन माह की अवधि में अपनी लेखा पुस्तकों में जमा खर्च किया हुआ होने से वेट नियम 18(6) के तहत व्यवहारी को इनपुट टैक्स क्लेम अनुज्ञेय होगा। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के खातों में इन्द्राज/जमाखर्च किये हुए वेट इन्वॉयसों को वेट तिमाही बिक्री विवरण प्रपत्रों के साथ पेश नहीं कर ऑडिट रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये जाने के कारण इसके आगत कर का समायोजन अस्वीकार करने में विधिक भूल की गई। अपीलीय अधिकारी ने इस बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करने में कोई विधिक भूल नही की है। अपीलीय अधिकारी का व्यवहारी के स्रोत पर कटौती किये गये टी.डी.एस. का आरसीआर के सत्यापन के पश्चात समायोजन देने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित करने का आदेश विधिसम्मत एवं उचित था। अपने तर्क के समर्थन में कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पूर्व पारित वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,जोन द्वितीय,जयपुर बनाम मै0 गोदरेज एण्ड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि0 जयपुर निर्णय दिनांक 10.5.2012 पेश किया एवं यह भी तर्क किया कि अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश दिनांक 08.09.2011 की पालना में, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि का प्रतिप्रेषित कर निर्धारण आदेश दिनांक 8.7.2013 किया जा चुका है। उक्त कर निर्धारण आदेश दिनांक 08.07.2013 की प्रति भी बहस के दौरान पेश की गई। अतः उनका निवेदन था कि विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का एवं कर निर्धारण अधिकारी के प्रतिप्रेषित कर निर्धारण आदेश दिनांक 08.07.2013 का ससम्मान अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 08.09.2011 के अवलोकन पर ज्ञात होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः जॉच कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर

-३६३

निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया था। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि उक्त प्रतिप्रेषित आदेश के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः कर निर्धारण दिनांक 08.07.2013 को पारित किया जा चुका है।

अतएवं अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 08.09.2011 की पालना में,कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 08.07.2013 पारित कर दिये जाने से अपीलीय अधिकारी के प्रकरण प्रतिप्रेषित करने संबंधी अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध विचाराधीन अपील चलने योग्य नहीं रहती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **सहायक आयुक्त, हनुमानगढ बनिाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग (2009) 25 टैक्स अपडेट 59** के अभिनिर्णय में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 08.09.2011 के विरूद्ध यह अपील सारहीन(Infructous) होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.09.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई प्रश्नगत अपील सारहीन(Infructuous) होने से खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

10-11-2015

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड,
अजमेर

अध्यक्ष
राजस्थान कर बोर्ड,
अजमेर